न्यायालय :– सिविल न्यायाधीश, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी– संजीव कुमार, आर.जे.एस.

नम्बरी दीवानी प्रकरण सं.– 18/2013

सीआईएस नम्बर– 47/2014

1. राजपाल कौर पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नी हरदेवसिंह जाति जटसिख, निवासी तलवाड़ा झील, हाल मिर्जापुर तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

———वादिया

बनाम

1. कश्मीर कौर पत्नी मोहनसिंह जाति जटसिख, निवासी चक 2 बी.एल.डी. ढ़ाणी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल– तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति जटसिख, निवासी चक 2 बी.एल.डी. ढ़ाणी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल– तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 24.07.2013)

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् बेदखली

उपस्थिति :–

1– श्री बलविन्द्रसिंह थिंद, विद्वान अधिवक्ता, वादिया की ओर से।
2– श्री कर्मवीर चालिया, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 की ओर से।
3– प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक 15.01.2019**

वादिया राजपाल कौर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया ने वर्णित किया है कि तलवाड़ा झील के वार्ड नं. 13 में उसके पिता के पास दो भूखण्ड क्रमशः ए व बी थे, जिनका आसा पासा वादिया द्वारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित किया गया है। भूखण्ड सं. ए में उसके पिता रिहायश करते थे, जिसमें 02 मकान पक्के, 02 मकान कच्चे, लेट्रिन, बाथरूम, पानी की टंकी, दरवाजा, पक्की चार दीवारी थी तथा एक नीम का पेड़ व कुतरा मशीन लगी हुई थी तथा भूखण्ड बी खाली है, जिसमें गोबर की खाद इत्यादि पड़े रहते थे। भूखण्ड सं. ए में वो अपनी पत्नी व चार बेटियों के साथ निवास करते थे। चार पुत्रियों के अलावा उनके कोई संतान नहीं थी। वादिया की माता का देहांत हो चुका है तथा वादिया के पिता की चारों पुत्रियां भी शादीशुदा है। वादिया के पिता पुत्रियों

की शादी के उपरांत अकेले रहते थे। वादिया के पिता ने अपनी वृद्धावस्था के मद्देनजर वादिया के समक्ष अपनी सार सम्भाल का प्रस्ताव रखा, जिस पर वादिया पति व बच्चों सहित अपने पिता के साथ निवास करने लगी तथा सेवा चाकरी करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर वादिया के पिता ने वादिया के पक्ष में उक्त भूखण्ड की वसीयत करवाई थी। वादिया के पिता की 11.05.2012 को मृत्यु हो गई तथा वादिया मृत्यु के उपरांत अपने परिवार सहित पिता के रिहायशी भूखण्ड में निवास करती रही। पिता की मृत्यु के आठ माह बाद वादिया से प्रतिवादीगण मिलने आये तो वादिया ने स्वयं को ससुराल जाने का कहते हुए कुछ दिन पिता का रिहायशी घर सम्भालने को कहा तो वादिया प्रतिवादीगण को अपने पिता के रिहायशी मकान में छोड़कर ससुराल चली गई, परन्तु जब वापिस आई तो प्रतिवादीगण ने रिहायशी भूखण्ड खाली करने से मना कर दिया, जिस पर वादिया ने भूखण्ड की वसीयत बाबत बताया, परन्तु प्रतिवादीगण ने कहा कि इसमें हमारा हिस्सा है। वादिया भूखण्ड की स्वामीनी है, उसे प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने का पूर्ण अधिकार है। अतः भूखण्ड सं. ए से प्रतिवादीगण को बेदखल करने की डिक्री पारित करने का कथन किया है।

प्रतिवादिया सं. 01 के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादिया सं. 01 ने वर्णित किया है कि वादिया द्वारा जो भूखण्ड का विवरण दिया गया है, उसका कोई दस्तावेज या पट्टा पेश नहीं किया गया है तथा पिता महेन्द्रसिंह के मालिकाना हक बाबत् भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादिया ने भूखण्ड सं. ए में वादिया के पिता की रिहायश से इंकार किया है तथा विवादित भूखण्ड महेन्द्रसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में बेचान कर दिया जाना बताया है तथा शेष भूखण्ड सभी बहिनों द्वारा बेचान किया जाना बताया है। प्रतिवादिया ने वादिया का तलवाड़ा झील में निवास करने, उसके पिता से अपना स्नेह होने के तथ्य से भी इंकार किया है तथा वादिया के पिता की मृत्यु के बाद उक्त रिहायशी मकान में निवास करने से इंकार करते हुए वादिया का ससुराल मिर्जापुर में निवास करना बताया है तथा उसे वादिया द्वारा मकान सम्भालने तथा उक्त रिहायशी भूखण्ड वादिया का होने के तथ्य से भी इंकार किया है तथा भूखण्ड का मूल्यांकन भी 5,00,000/—रूपये बताया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी सं. 02 जो कि वादिया की बहिन प्रतिवादिया सं. 01 का पति है, के विरूद्ध दिनांक 24.07.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही है।

उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादिया को वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित आसा पासा व माप के भूखण्ड अपने पिता से वसीयत में प्राप्त हुए, जिस कारण वह उक्त भूखण्ड की स्वामीनी है?

—वादिया

2. आया वादिया वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित आसा पासा व माप के भूखण्ड सं. ए से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

—वादिया

3. अनुतोष।

वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाहान पी.डब्लू. 1 राजपालकौर, पी.डब्लू. 2 वीरपालकौर के बयान लेखबद्ध करवाए गए और दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात वसीयत दिनांक 29.12.2008 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—1, मृत्यु प्रमाण पत्र महेन्द्रसिंह असल प्रदर्श—2, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—2ए, नक्शा प्रदर्श—3 को प्रदर्शित करवाया गया।

प्रतिवादिया सं. 1 द्वारा अपनी साक्ष्य में गवाहान डी.डब्लू. 1 स्वयं कश्मीरकौर, डी.डब्लू. 2 लखमानसिंह के बयान लेखबद्ध करवाए गए और दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात इकरारनरामा दिनांक 16.05.13 प्रदर्श ए—1, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श ए—1ए, इकरारनामा दिनांक 07.02.2012 प्रदर्श ए—2, जिसकी चित्र प्रति प्रदर्श ए—2ए को प्रदर्शित करवाया गया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादिया ने कथन किया कि वादिया एवं प्रतिवादिया सं. 01 समेत वे चार बहिने है, उनके पिता के कोई पुत्र नहीं था। वादिया ने अपने पिता की सार सम्भाल की थी एवं उसके पिता द्वारा उसे विवादित भूखण्ड वसीयत में दिया गया था, जो उनके द्वारा प्रतिवादिया को सम्भालने हेतु दिया गया था, परन्तु प्रतिवादिया ने तदुपरांत उसे खाली करने से इंकार कर दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत वसीयत रजिस्टर्ड है। नजरी नक्शा भी पेश किया गया है। प्रतिवादिया ने मकान बेच दिया जाना बताया है, परन्तु यह नहीं बताया है कि किसे बेच दिया गया। जहां तक पट्टा पेश ना करने का संबंध है, गांव पैंतालीसा क्षेत्र है, जिसमें पट्टे नहीं बने है। प्रतिवादिया ने भी कोई पट्टा पेश नहीं किया है। वादिया ने अपनी अन्य बहिन की साक्ष्य भी करवाई है। वादिया की साक्ष्य पूर्णतया अखण्डनीय रही है। प्रतिवादिया ने वसीयत के निष्पादन एवं वसीयत की वैधता को अपने अभिवचनों व साक्ष्य में कोई चुनौती नहीं दी है और ना ही वसीयत के संबंध में कोई काउण्टर क्लेम पेश किया है। प्रतिवादिया के अभिवचन स्पष्ट नहीं है एवं उसने विवादित भूखण्ड का बिजली का बिल भी पिता के नाम से होना बताया है। अतः दावा डिक्री किया जावे।

उक्त तर्का का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादिया ने कथन किया कि उनके पिता के नाम का कोई स्वामित्व का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वसीयत के गवाह पेश नहीं किए गए है। बिजली, पानी का बिल भी पेश नहीं किए गए है। वसीयत व दावे में भूखण्ड का साईज अंकित नहीं है। वादिया की मौखिक साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास विद्यमान है। अतः दावा खारिज किया जावे।

उभयक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिंतन, मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तनकीयात पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या 01 व 02 :–

उक्त दोनों तनीकयात परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में वादिया द्वारा विवादित भूखण्ड वसीयत में प्राप्त होना बताते हुए उसे प्रतिवादिया को सम्भालने एवं बाद में कब्जा मांगने पर वापिस ना देने पर बेदखली का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में अदालत हाजा द्वारा सर्वप्रथम उभयपक्षों के अभिवचनों का सुक्ष्म विश्लेषण किया जा रहा है। वादिया द्वारा अपनी अभिवचनों में विवादित भूखण्ड सं. ए के आसा पासा एवं उसमें मौजूद आलामात बताते हुए अपने पिता के चार पुत्रियां होना एवं कोई भाई नहीं होने का कथन करते हुए विवादित भूखण्ड उसके पिता द्वारा उसकी सेवा–सुश्रुषा से खुश होकर उसके नाम वसीयत करने, उक्त विवादित वसीयतशुदा भूखण्ड सं. ए उसके द्वारा पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादिया को सम्भालने तथा प्रतिवादिया द्वारा उसमें स्वयं का हिस्सा बताते हुए उक्त विवादित प्लॉट खाली करने से इंकार किए जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार वादिया द्वारा उसके अभिवचनों से यह स्पष्ट होता है कि वादिया द्वारा वसीयत के निष्पादन की वैधता के संबंध में किसी भी भांति का घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहा गया है। उसके द्वारा अनुषांगिक रूप से वसीयत के आधार पर स्वामीनी होना बातते हुए विवादित भूखण्ड प्रतिवादिया को सम्भालने तथा उसके द्वारा लाईसेंस का भंग करते हुए मकान खाली ना करने का मुख्य अनुतोष ही मांगा जाना स्पष्ट है।

अब यदि प्रतिवादीगण के अभिवचनों का अवलोकन किया जावे तो जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 का प्रश्न है प्रतिवादी सं. 02, प्रतिवादी सं. 01 का ही पति है, तथापि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है, जिस पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अब जहां तक प्रतिवादिया संख्या 01 का प्रश्न है, प्रतिवादिया सं. 01 ने अपने अभिवचनों में मूलतः विवादित भूखण्ड का पट्टा ना होना, उसके पिता के नाम भी मालिकाना हक के संबंध में कोई दस्तावेज ना होना, विवादित भूखण्ड में उसके पिता की रिहायश ना होने का कथन किया है तथा यह कथन भी किया है कि विवादित भूखण्ड उसके पिता द्वारा बेच दिया गया

था तथा वादिया के इस कथन को गलत बताया है कि वसीयतशुदा भूखण्ड की जगह उसके रिहायशी भूखण्ड की हो।

इस प्रकार उपरोक्त जवाब दावा में वर्णित अभिवचनों से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादिया द्वारा भी वसीयत के निष्पादन की वैधता को कतई चुनौती नहीं दी गई है और ना ही इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई तनकीयात कायम की गई है। न्यायालय के विनम्र मत में न्यायालय को वसीयत की वैधता एवं वसीयत के आधार पर स्वामित्व के संबंध में किसी घोषणात्मक अनुतोष के संबंध में मुकदमा हाजा में कोई अनुतोषात्मक निष्कर्ष पारित नहीं करना है। फलतः न्यायालय द्वारा स्वामित्व का विश्लेषण केवल अनुषांगिक आधार पर किया जा रहा है। प्रकरण में वादिया एवं प्रतिवादिया चार बहिने होना बताया है। सभी बहिने प्रकरण में पक्षकार भी नहीं है। अतः वसीयत की वैधता के संबंध में प्रत्यक्षतः कोई घोषणात्मक अनुतोष बाबत् विश्लेषण भी मुकदमा हाजा में नहीं जा रहा है। न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या आनुषांगिक रूप से वसीयत के आधार पर विवादित भूखण्ड से वादिया, प्रतिवादिया को बेदखल करवाने की अधिकारी है अथवा नहीं ?

इस संबंध में अब यदि वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादिया बतौर गवाह पी.डब्लू. 1 राजपाल कौर पेश हुई है, जिसने अपने शपथ पत्र में अपने अभिवचनों में वर्णित तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि करते हुए विवादित भूखण्ड सं. ए उसके पिता द्वारा उसे वसीयत करने, उसका उसके पिता के साथ निवास करने, उसके पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूखण्ड प्रतिवादिया सं. 01 को सम्भालने, परन्तु बाद में प्रतिवादिया द्वारा स्वयं का हिस्सा बताते हुए कब्जा खाली करने से इंकार करने के तथ्य की पूर्णतया ताईद की है। वादिया द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत अभिवचन एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1 प्रदर्शित करवाई गई है, जिसमें वादिया द्वारा वर्णित भूखण्ड सं. ए व बी उसके पिता द्वारा उसे वसीयत किए जाने का कथन स्पष्ट है। प्रतिवादिया द्वारा उक्त वसीयत की वैधता को कतई चुनौती अपने अभिवचनों में नहीं दी गई है एवं ना ही वादिया पी.डब्लू. 1 राजपाल कौर की जिरह में वसीयत की वैधता के संबंध में किसी भांति की कोई जिरह की गई है और ना ही इस संबंध में प्रतिवादिया ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में ऐसा कोई कथन किया है कि वसीयत फर्जी अथवा कूटरचित हो। इस प्रकार वादिया के पक्ष में की गई वसीयत फर्जी हो, इस बाबत् प्रतिवादिया ने कोई अभिवचन, साक्ष्य, काउण्टर क्लेम इत्यादि पेश कर वसीयत की वैधता को कतई चुनौती नहीं दी है। साथ ही वादिया द्वारा अपनी वसीयत की वैधता के संबंध में कोई घोषणात्मक अनुतोष नहीं मांगा गया है और ना ही वसीयत की वैधता के संबंध में अदालत हाजा द्वारा उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर कोई तनकीयात कायम की गई है। ऐसी दशा में न्यायालय को केवल लाईसेंस की शर्तो को भंग करने के आधार पर बेदखली के संबंध में ही विवेचन किया जाना है। वादिया द्वारा

मुख्य अनुतोष भूखण्ड सं. ए के संबंध में चाहा गया है। भूखण्ड सं. ए के आसे पासे वादिया द्वारा अपने वाद पत्र की मद सं. 02 में वर्णित किए गए है, जिसमें उत्तर में मुख्य दरवाजा, दक्षिण में भंवरसिंह, पूर्व में गोपाल आदि व पश्चिम में जगदीश आदि के मकान बताये गए है। अब यदि प्रदर्श–1 वसीयत का अवलोकन किया जावे तो उसमें भी उक्त आसे पासे स्पष्टतः मिलान खाते है। वादिया द्वारा जो नजरी नक्शा प्रदर्श–3 पेश किया गया है, उसमें भी उक्त आसे पासे मिलान खाते है। अब यदि वाद पत्र में अंकित भूखण्डों के आसे पासे के सबंध में प्रतिवादिया के अभिवचनों का अवलोकन किया जावे तो उसने अपने जवाब दावा की मद सं. 02 में उक्त भूखण्डों के आसे पासे को किंचित मात्र भी इंकार नहीं किया है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रतिवादिया द्वारा अपने अभिवचनों में उक्त तथ्यों से इंकार नहीं किए जाने के कारण उक्त तथ्य को पूर्णतया साबित माना जा सकता है। साथ ही प्रतिवादिया द्वारा वादिया गवाह पी.डब्लू. 1 राजपाल कौर से उक्त आसे पासे बाबत् कोई जिरह भी नहीं की गई है। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र की मद सं. 3 में विवादित भूखण्ड सं. ए में मौजूद आलामात का जिक्र भी किया गया है। उक्त तथ्यों को प्रतिवादिया ने गलत बताया है, परन्तु इस संबंध में गवाह वादिया सं. 1 राजपाल कौर से किंचित मात्र भी जिरह नहीं की गई है। प्रतिवादिया द्वारा प्लॉट की कीमत भी अपने अभिवचनों में अधिक बताई गई है, परन्तु स्वयं की साक्ष्य एवं वादिया की जिरह के दौरान प्लॉट की कीमत के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है। वादिया द्वारा स्वयं चार बहिने होना बताया गया है। वादिया द्वारा स्वयं के साथ–साथ पी.डब्लू. 2 वीरपाल कौर की भी साक्ष्य करवाई गई है, जो कि वादीया एवं प्रतिवादिया दोनों की बहिन है, जबकि प्रकरण में प्रतिवादी सं. 02 जो कि प्रतिवादिया सं. 01 का पति न्यायालय के समक्ष हाजिर ही नहीं आया तथा जिसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादिया एवं प्रतिवादिया की बहिन गवाह पी.डब्लू. 2 वीरपाल कौर ने भी वादिया द्वारा वर्णित तथ्यों की पूर्णतया ताईद करते हुए विवादित भूखण्ड उसके पिता का होना, वादिया द्वारा पिता की सार सम्भाल करना, विवादित भूखण्ड वादिया के पिता द्वारा वादिया को वसीयत किया जाना, वादिया द्वारा प्रतिवादिया को उक्त विवादित रिहायशी भूखण्ड सम्भालने हेतु दिया जाना तथा बाद में खाली करने से इंकार किए जाने के तथ्यों की पूर्णतया ताईद की है। प्रतिवादिया ने वसीयत भिन्न जगह की बताई है, परन्तु इस संबंध में वादिया एवं गवाह सं. 2 वीरपाल कौर से कोई जिरह नहीं की गई है। न्यायालय के विनम्र मत में प्रतिवादिया के अभिवचनों एवं साक्ष्य में भी कतई एक रूपता नहीं है। जहां प्रतिवादिया ने अपने अभिवचनों में पिता के स्वामित्व से इंकार किया है, वहीं साथ ही उसके पिता महेन्द्रसिंह द्वारा मकान बेच दिया जाना बताया है, जो कि पूर्णतया विरोधाभासी तथ्य है। प्रतिवादिया ने अपने अभिवचनों में यह तक नहीं बताया है कि उसके पिता द्वारा

मकान किसे बेच दिया गया। स्वयं प्रतिवादिया बतौर गवाह डी.डब्लू. 1 कश्मीर कौर पेश हुई है, जिसने अपनी साक्ष्य में भी वसीयत को चुनौती नहीं दी है ।

अब यदि प्रतिवादिया गवाह डी.डब्लू. 1 कश्मीर कौर की जिरह का अवलोकन किया जावे तो उसने अपने पति का विजयनगर में रहना बताया है तथा इस बात से भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि उसके पिता के नाम तलवाड़ा झील में कितने भूखण्ड है। उसके स्वयं के नाम तलवाड़ा झील में आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर लिस्ट बने होना बताये है, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि जिस प्लॉट में वह निवास कर रही है, उसका कोई पट्टा नहीं बना हुआ है। जहां एक ओर विवादित प्लॉट के बिजली कनेक्शन किसके नाम से है, इस तथ्य से प्रतिवादिया ने इंकार किया है, वहीं आगे जिरह में बिजली का कनेक्शन अपने पिता के नाम से होना स्वीकार किया है। आगे प्रतिवादिया ने अपने पिता का किसी अन्य प्लॉट में रहना बताया है, परन्तु उक्त प्लॉट के वार्ड नम्बर, आसे पासे बताने में प्रतिवादिया असक्षम रही है। प्रतिवादिया यह तक नहीं बता पाई है कि उसके पिता जहां रहते थे, उसका मुख्य दरवाजा किस तरफ खुलता है। प्रतिवादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि वादिया अपने पति के साथ विवाद होने के कारण पिता के पास रही थी। प्रतिवादिया ने विवादित भूमि अपने पिता की नहीं बताया है, परन्तु उसके बिल पिता के नाम से आना स्वीकार किया है। प्रतिवादिया ने उसका रिहायशी भूखण्ड स्वयं का होना बताया है, परन्तु प्रतिवादिया के पास उक्त मकान कैसे आया, इस संबंध में प्रतिवादिया ने कोई साक्ष्य नहीं दी है। यहां तक कि प्रतिवादिया का पति भी हालांकि प्रतिवादी सं. 02 है, वह न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ है, उसने कोई जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं की है। वसीयतशुदा प्लॉट एवं प्रतिवादिया द्वारा कथित रिहायशी प्लॉट भिन्न–भिन्न हो, इस संबंध में वादिया से कोई जिरह नहीं की गई है। वसीयतशुदा प्लॉट प्रतिवादिया ने उसके पिता द्वारा बेच दिया जाना बताया है, परन्तु किसे बेच दिया, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। हालांकि प्रतिवादिया ने कतिपय प्लॉट उसके पिता एवं उसकी बहिनों द्वारा बेच देने का कथन किया है तथा इस संबंध में गवाह डी.डब्लू. 2 लखमानसिंह को भी पेश किया गया है, जिसने स्वयं द्वारा दो प्लॉट जरिए इकरारनामा प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श ए–2 खरीदे जाना बताया है, परन्तु अपनी जिरह में इस गवाह ने साफ तौर पर कथन किया है कि उसे बेचे गए प्लॉट का वाद पत्र से कोई लेना देना नहीं है तथा प्रदर्श ए–2 में वर्णित प्लॉट वार्ड नं. 12 में स्थित है, जबकि वादिया द्वारा वार्ड नं. 13 के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। ऐसी दशा में न्यायालय के विनम्र मत में गवाह डी.डब्लू. 2 लखमानसिंह की साक्ष्य प्रतिवादिया को कोई सहायता नहीं करता है। साथ ही इसी कारण से प्रतिवादिया द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य भी निरर्थक हो जाती है। प्रतिवादिया ने वसीयतशुदा प्लाट एंव स्वंय की रिहायश वाला प्लाट भिन्न बताया है, परंतु गवाह

पी.डब्लू. 2 वीरपाल कौर से जिरह में पूछे गए सुझावात्मक प्रश्न के उत्तर में उक्त गवाह पी.डब्लू. 2 वीरपाल कौर ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वसीयत वाले प्लॉट में कश्मीर कौर रह रही है। इस प्रकार दबी जुबान में प्रतिवादिया ने स्वयं ही यह तथ्य स्वीकार किया है कि वसीयतशुदा प्लॉट ही वह प्लॉट है, जिसमें वह निवास कर रही है। साथ ही जैसा कि उपर वर्णित किया गया है कि वसीयतशुदा प्लॉट प्रतिवादिया की रिहायश वाला प्लॉट ना हो, इस संबंध में स्वयं वादिया पी.डब्लू. 1 राजपाल कौर से कोई जिरह नहीं की गई है। जैसा कि पूर्व में विशलेषण किया गया है कि अभिवचनों में वर्णित आसे पासे, नजरी नक्शा में आसे पासे व वसीयत में वर्णित आसे पासे मेल खाते है, जिनके संबंध में भी वादिया से किंचित मात्र भी जिरह नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय के विनम्र मत में वादिया उक्त तनकीयात को अधिसम्भाव्यता की प्रबलता के आधार पर साबित करने में सफल रही है।

अब जहां तक बहस के दौरान उठाये गए तर्को का प्रश्न है तो अधिवक्ता प्रतिवादिया ने कथन किया है कि विवादित प्लॉट के वादिया के पिता के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं है, इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से वसीयतशुदा प्लॉट एवं प्रतिवादिया का रिहायशी प्लॉट एक ही होना स्पष्ट है। स्वयं प्रतिवादिया ने ही अपनी जिरह में उसके रिहायशी प्लॉट का ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा होने से इंकार किया है। प्रतिवादिया ने बिजली के बिल भी पिता के नाम होना स्वीकार किया है। प्रतिवादिया ने भूखण्ड स्वयं की सम्पति बताई है, परन्तु स्वयं के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तोवज नहीं बताया है। वादिया द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पेश की गई है। प्रतिवादिया ने विवादित भूखण्ड पिता द्वारा कहीं तो बेचना बताया है एवं कहीं पिता का स्वामित्व होने से इंकार किया है। पिता द्वारा किसे बेचा गया, यह भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार प्रतिवादिया के अभिवचन पूर्णतया संदिग्ध है। ऐसी दशा में उक्त तर्क प्रतिवादिया को कोई सहायता नहीं करता है।

जहां तक वसीयत के किसी अनुप्रमाणक साक्षी को पेश ना करने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि वादिया का मुख्य अनुतोष लाइसेंस भंग का प्रतीत होता है। हालांकि वादिया ने विवादित प्लााट उसे उसके पिता द्वारा वसीयत होना बताया है, परंतू जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है प्रकरण में किये गये विश्लेषण से यह स्पस्ट है कि प्रकरण में वसीयत की वैधता प्रत्यक्षतः विवादित ही नहीं है, क्योंकि ना तो वादीया ने विल के अधिकार पर स्वामित्व की घोषणा का अनुतोष चाहा है और ना ही प्रतिवादिया ने वसीयत के फर्जी, कूटरचित होने बाबत अभिवचन, वादीया के गवाहों की जिरह में अथवा स्वंय की साक्ष्य में ऐसी कोई बात उठाई है। न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई तनकीयात भी कायम नहीं की गई है। यहां न्यायालय यह उल्लेख करना भी उचित समझता है

कि विवादित प्लॉट पर पिता अथवा प्रतिवादिया के स्वामित्व बाबत किये गये अभिकथनों से भी मामला प्रतिवादिया के विरूद्ध ही प्रतीत होता है। उक्त बाबत न्यायलय द्वारा उपर विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अतः साक्ष्य की पुनरावर्ती के दोष से बचने के लिए उक्त विश्लेषण पुनः वर्णित नही किया जा रहा। संक्षेप में संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण की समग्रता में उक्त तर्क का लाभ प्रतिवादिया प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है ।

जहां तक प्रतिवादिया का यह तर्क है कि वादिया ने बिजली, पानी के बिल पेश नहीं किये, इस संबंध में न्यायालय का विनग्र मत है कि स्वयं प्रतिवादिया ने ही अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि बिजली का बिल उसके पिता के नाम से ही आता है। अतः यह तर्क भी प्रतिवादिया को कोई सहायता नहीं करता।

जहां तक प्रतिवादिया का यह तर्क कि विवादित भूखण्ड का क्षेत्रफल वादिया द्वारा अंकित नहीं किया गया है, इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि वादिया द्वारा स्पष्टतः भूखण्ड के आसे पासे व उसमें मौजूद आलामात बाबत् साक्ष्य दी है, जो पूर्णतः अखण्डनीय एवं निर्विवादित रही है। जिसके संबंध में उपर विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है। अतः यह तर्क भी प्रतिवादिया की कोई सहायता नहीं करता है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में केवल प्रतिवादीगण की हद तक वसीयत के आधार पर किए गए लाईसेंस के अस्तित्व को माना जा सकता है। यहां न्यायालय पुनः वर्णित करना समीचीन समझता है की न्यायालय द्वारा प्रकरण में वसीयत की वैधता बाबत कोई विनिश्चय नही किया जा रहा है, क्योंकि उपरोक्त वर्णित विश्लेषण से स्पस्ट है कि प्रतिवादीगण ने वसीयत की वैधता को चुनौती ही नहीं दी है। अतः वादिया केवल प्रतिवादीगण की हद तक विवादित प्लाट से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के अधिकारी है। अतः उपरोक्तानुसार तनकीयात वादीया के हक में साबित मानी जाती है ।

<u>तनकी संख्या–03 अनुतोष।</u>

चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 को वादिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रही है। अतः वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य है। इसके साथ–साथ वादिया उक्त विवादित भूखण्ड सं. ए जो ग्राम तलवाड़ा झील के वार्ड नं. 13 में स्थित है, प्रतिवादीगण से दो माह में खाली करवाने की अधिकारिणी होगी।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित भूखण्ड संख्या–ए, जो ग्राम तलवाड़ा झील के वार्ड नं. 13 में स्थित है, से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादिया कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा वादिया, प्रतिवादीगण से उक्त भूखण्ड निर्णय की दिनांक से दो माह में खाली करवाने की अधिकारिणी

होगी। वाद खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। डिक्री पर्चा नियमानुसार मूर्तिब किया जावे।

(संजीव कुमार)
सिविल न्यायाधीश, टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
सिविल न्यायाधीश, टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़।